

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीड
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश:-

प्राथी के "खाता दुकस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / चायन तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में प्राप्त खाता संख्या 833-834 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01,	बीड	833 834	पूरी राशि के अन्तर्गत राजस्व	पूरी राशि के अन्तर्गत राजस्व

(fhr)
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर, बीड

दिनांक :- 3/10/25

क्रमांक :- 25/349

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्राथी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(fhr)
 सहायक तहसीलदार
 उपखण्ड अधिकारी, बीड
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
 जिला-राजसमन्द